mail

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/12– 509 खाद्य, पटना/दिनांक– 29/01/201

प्रेषक,

ए0 के0 सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में धान अधिप्राप्ति के लिए पैक्सों को अनुमान्य आकस्मिक (Incidentals) व्यय के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में धान अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा धान/सी0एम0आर0 चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ–साथ अधिप्राप्ति में संलग्न एजेन्सियों के लिए विभिन्न मदों में आकस्मिक (Incidentals) व्यय का प्रावधान किया गया है । ज्ञातव्य है कि बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में धान अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम के अलावा पैक्सों को भी किसानों से अधिप्राप्ति का दायित्व दिया गया है । भारत सरकार द्वारा आकस्मिकता के विभिन्न मदों में धान अधिप्राप्ति एजेन्सियों को दिये जाने वाले व्यय में से पैक्सों को कितनी राशि देय होगी, इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित आकस्मिक (Incidentals) व्यय की दरें सूचित की जा रही हैं –

क्र0 सं0	आकस्मिक व्यय विवरणी	भारतीय खाद्य निगम का मानक दर	**पैक्सों को देय राशि (रूपए प्रति क्विंटल)**
1	मण्डी लेबर चार्ज/हैन्डलिंग चार्ज	7.09	**3.55**
2	परिवहन व्यय/पैक्स क्रय केन्द्र से राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र तक	12.83	**12.83**
3	पैक्सों (समितियों) को प्राप्त कमीशन/न्यूनतम समर्थन मूल्य का 2.5 % की दर से	31.25	**31.25**
4	बिहार राज्य खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ प्राप्त होने वाले 2 माह के व्याज में से 15 दिन का ब्याज बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों को भुगतान किया जायेगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगी ।	27.06	**6.77**
		कुल :–	**54.40**

उपरोक्त के अलावा पैक्सों को निम्नांकित राशि भी देय होगी :–

(क) पैक्सों द्वारा धान अधिप्राप्ति के क्रम में यदि गनी बैग की मांग की जाती है तो राज्य खाद्य निगम प्रखण्ड क्रय केन्द्र के प्रभारी द्वारा Phase wise आवश्यकतानुसार गनी बैग उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें पैक्स किसानों से क्रय किया गया धान भरकर बोरा समेत राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों को सुपुर्द कर देंगे । यदि कतिपय कारणों से राज्य खाद्य निगम पैक्सों के मांग के अनुसार समय पर गनी बैग उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है वैसी स्थिति में पैक्स भारतीय खाद्य निगम के मानक के अनुरूप यथा "SBT (50 kg capacity) jute bags of 94 cms × 57 cms size of 665 grams weight per bag, strictly conforming to BIS specification no. ISI 2650:2003 with a line of safety union stich at the inner edges of over head or herakle stiches as per clause 4-3 of said specification" 50 किलो का नया गनी बैग क्रय कर उसमें धान भर कर राज्य खाद्य निगम के क्रय

केन्द्रों में पहुँचाएंगे और प्रखण्ड क्रय केन्द्र पैक्सों से धान लेने के बाद गनी बैग पैक्सों को वापस करेंगे और **27.83** रूपए प्रति क्विंटल की दर से ह्रास मूल्य (Depreciation) राज्य खाद्य निगम पैक्सों को राशि भुगतान करेगी ।

निदेश दिया जाता है कि तदनुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों सहित सभी पैक्सों को इस निदेश से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(ए0 के0 सिन्हा) 23.1.2013
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक– – प्र04/ख0वि0अधि0–01/12– 509 खाद्य, पटना/दिनांक– 29/01/2013
प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इसकी जानकारी अविलंब अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें ।

मुख्य सचिव, बिहार 23.1.2013

ज्ञापांक– – प्र04/ख0वि0अधि0–01/12– 509 खाद्य, पटना/दिनांक– 29/01/2013
प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

मुख्य सचिव, बिहार 23.1.2013

ज्ञापांक– – प्र04/ख0वि0अधि0–01/12– 509 खाद्य, पटना/दिनांक– 29/01/2013
प्रतिलिपि –विकास आयुक्त, बिहार/प्रशासक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना /सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी जिलों के प्रभारी मा0 मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार 23.1.2013

ज्ञापांक– – प्र04/ख0वि0अधि0–01/12– 509 खाद्य, पटना/दिनांक– 29/01/2013
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।

मुख्य सचिव, बिहार 23.1.2013